सं0सं0–1/विविध–12/2016– 5661

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शेखर चन्द्र वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा– वित्त विभाग।

पटना, दिनांक– 2 / 5 /2016

विषयः– "विकसित बिहार के सात निश्चय" अन्तर्गत जिला स्तर पर 20 (बीस) नये मुख्यमंत्री निश्चय जी0एन0एम0 स्कूल एवं अनुमंडल स्तर पर 63 (तिरसठ) नये मुख्यमंत्री निश्चय ए0एन0एम0 स्कूल खोले जाने हेतु कुल अनुमानित रु0 6,38,00,00,000/– (रुपये छः अरब अड़तीस करोड़) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि "विकसित बिहार के सात निश्चय" अन्तर्गत राज्य में तकनीकी और उच्च शिक्षा के अवसरों को और बढ़ाने एवं युवाओं को राज्य में ही बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर 20 (बीस) नये मुख्यमंत्री निश्चय जी0एन0एम0 स्कूल एवं अनुमंडल स्तर पर 63 (तिरसठ) नये मुख्यमंत्री निश्चय ए0एन0एम0 स्कूल खोला जाना है। प्रति जी0एन0एम0 स्कूल रु0 13.00 करोड़ (रुपये तेरह करोड़) मात्र की अनुमानित दर से 20 (बीस) नये मुख्यमंत्री निश्चय जी0एन0एम0 स्कूल की स्थापना हेतु कुल व्यय रु0 260.00 करोड़ (रुपये दो सौ साठ करोड़) मात्र एवं प्रति ए0एन0एम0 स्कूल रु0 6.00 करोड़ (रुपये छः करोड़) की दर से 63 (तिरसठ) नये मुख्यमंत्री निश्चय ए0एन0एम0 स्कूल के निर्माण की कुल लागत रु0 378.00 करोड़ (रुपये तीन सौ अठहत्तर करोड़) मात्र अनुमानित है। वर्णित परिप्रेक्ष्य में "विकसित बिहार के सात निश्चय" अन्तर्गत जिला स्तर पर 20 (बीस) नये मुख्यमंत्री निश्चय जी0एन0एम0 स्कूल एवं अनुमंडल स्तर पर 63 (तिरसठ) नये मुख्यमंत्री निश्चय ए0एन0एम0 स्कूल खोले जाने हेतु कुल अनुमानित रु0 6,38,00,00,000/– (रुपये छः अरब अड़तीस करोड़) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– 20 (बीस) नये मुख्यमंत्री निश्चय जी0एन0एम0 स्कूल का निर्माण निम्न जिलों में खोला जाना है–

(1) अररिया (2) अरवल (3) औरंगाबाद (4) बेगुसराय (5) भोजपुर (6) मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण) (7) गोपालगंज (8) कैमुर (9) कटिहार (10) खगड़िया (11) लखीसराय (12) मधुबनी (13) मुंगेर (14) नवादा (15) सहरसा (16) शिवहर (17) सीतामढ़ी (18) सिवान (19) सुपौल (20) वैशाली

63 (तिरसठ) नये मुख्यमंत्री निश्चय ए0एन0एम0 स्कूल निम्न अनुमंडल में खोला जाना है–

क्र0 सं0	प्रमण्डल का नाम	अनुमंडल का नाम	कुल संख्या	अनुमानित लागत (रु0 में)
1	पटना प्रमण्डल	बिहार शरीफ, पालीगंज, बिक्रमगंज, जगदीशपुर, पीरो, डुमरॉव, दानापुर	7	42,00,00,000/–
2	मगध प्रमण्डल	अरवल, रजौली, दाऊदनगर, शेरघाटी, नीमचक बथानी, जहानाबाद	6	36,00,00,000/–
3	दरभंगा प्रमण्डल	बेनीपुर, बिरौल, जयनगर, बेनीपट्टी, झंझारपुर, फुलपरास, दलसिंहसराय, पटोरी, रोसड़ा, दरभंगा सदर	10	60,00,00,000/–

क्रमशः

4	कोशी प्रमण्डल	सिमरी बख्तियारपुर, वीरपुर, निर्मली, त्रिवेणीगंज, मधेपुरा, उदाकिशनगंज	6	36,00,00,000/–
5	सारण प्रमण्डल	छपरा, मढ़ौरा, सोनपुर, महाराजगंज, गोपालगंज	5	30,00,00,000/–
6	पूर्णियाँ प्रमण्डल	बनमनखी, वायसी, धमदाहा, अररिया, फारबिसगंज, बारसोई, मनिहारी	7	42,00,00,000/–
7	तिरहुत प्रमण्डल	पुपरी, बेलसंड, बगहा, नरकटियागंज, अरेराज, चकिया, पकड़ी दयाल, रक्सौल, सिकरहना, महुआ, महनार, मुजफ्फरपुर	12	72,00,00,000/–
8	मुंगेर प्रमण्डल	तारापुर, गोगरी, तेघड़ा, बलिया, मंझौल, बखरी, खड़गपुर	7	42,00,00,000/–
9	भागलपुर प्रमण्डल	कहलगाँव, नवगछिया, बाँका,	3	18,00,00,000/–
		कुल योग–	63	3,78,00,00,000/–

स्थल चयन हेतु उपरोक्त जिलों के जिला पदाधिकारी से भूमि की उपलब्धता के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

3– यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17.04.98, 2880/ वि0(2), दिनांक–06.05.06 एवं 2938/वि0(2), दिनांक–08.04.08 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4– वित्त विभाग के परिपत्र सं0–4052/वि0 दिनांक–28.04.2015 के आलोक में इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5– इस राशि के व्यय का वहन मांग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–03– चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी– 0112– ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 स्कूल, विपत्र कोड– पी4210031050112 अन्तर्गत राज्य योजना स्कीम कोड– HEA-5709 वित्तीय वर्ष 2016–17 के योजना व्यय में विषय शीर्ष 53 01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में उपबंधित राशि एवं/या आवश्यकतानुसार उद्व्यय एवं उपबंध प्राप्त कर किया जायेगा।

6– अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना "बी0टी0सी0 फॉर्म–46" में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से कार्यकारी एजेन्सी को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट में जमा कर कार्य को विधिवत् संपादित करायेंगे। राशि की निकासी कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जाएगी।

7– कार्यकारी एजेन्सी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी0सी0 बिल महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए उसकी एक प्रति स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायेंगे।

8– प्रस्ताव में योजना प्राधिकृत समिति की बैठक दिनांक–18.02.2016 एवं मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–19.02.2016 के मद संख्या–12 में स्वीकृति प्राप्त है।

9– वित्त विभाग की सहमति सं0सं0–1/विविध–12/2016 के पृष्ठ–10/टि0 पर प्राप्त है।

10– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11– यह मात्र राज्यादेश है, आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

29.4.16

(शेखर चन्द्र वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

क्रमशः

ज्ञापांकः–1/विविध–12/2016–566(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 2/5/2016

प्रतिलिपिः–योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिलाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग कोषांग/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य के निजी सहायक/उप सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य के निजी सहायक/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1, 6, 10/कार्यवाह सहायक/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/4/16

सरकार के संयुक्त सचिव।